भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1772

दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

शांति बनाए रखना और सुरक्षा को सुदृढ़ करना

1772. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में शांति बनाए रखने और सुरक्षा को सुदृढ़ करने में प्रमुख बाधाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बाधाओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): सरकार द्वारा देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है तथा सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा संबंधी खतरों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में, केंद्र तथा राज्य स्तर पर सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों के बीच घनिष्ठ और कारगार तालमेल रखा जाता है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह हेतु आसूचना के रियल टाइम मिलान और उसे साझा करने के लिए 24×7 आधार पर कार्य करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) को सशक्त बनाया गया है।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा संबंधी उपायों, विकासात्मक पहलों आदि को शामिल करने वाली एक बहु आयामी रणनीति का अनुसरण करती है,

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आसूचना व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण;
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता का संवर्धन करना;
- ज्यादा कारगर अप्रवासन नियंत्रण;
- तटीय सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण;
- प्रभावी सीमा प्रबंधन, निगरानी चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़, फ्लड लाइटिंग, आधुनिक तथा हाई-टैक निगरानी उपस्करों की तैनाती।

यद्यपि कानून और व्यवस्ता राज्य का विषय है, तथापि, केंद्र सरकार देश में संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य पर निरंतर नजर रखती है। जब कभी भी आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी खतरे को महसूस किया जाता है, तो विधि प्रवर्तन एजेंसियों को चेतावनियां और परामर्शी-पत्र जारी किए जाते हैं।

******